हरि कान्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव।

अर्धशापत्र सं0-53/980/84-1-13-05/2013
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनु0-1
लखनऊ दिनॉक 17 अक्टूबर, 2013

प्रिय महोदय,

कृपया जनपद वाराणसी में क्षेत्रीय निर्देशमानक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु भारत सरकार के पक्ष में भूमि आबंटन विषयक मेरे अर्ध शासकीय पत्र संख्या-841/84-1-13-05बामा/2013, दिनॉक 30 अगस्त, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि क्षेत्रीय निर्देशमानक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु जनपद वाराणसी की पिण्डरा तहसील में स्थित गाटा संख्या- 895 क्षेत्रफल 1.3 हैक्टेयर (3.2 एकड) ग्राम समाज की भूमि पर सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, ताकि तदनुसार भूमि आबंटन का अनुरोध जिलाधिकारी, वाराणसी से किया जा सके। प्रश्नगत स्थान पर क्षेत्रीय निर्देशमानक प्रयोगशाला की भूमि चयन के संबंध में सहमति/कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

3- अत: अनुरोध है कि कृपया जनपद वाराणसी में उक्त प्रस्तावित भूमि पर क्षेत्रीय निर्देशमानक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु अपनी सहमति/समुचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(हरि कान्त त्रिपाठी)

श्री बी0 एन0 दीक्षित,
निदेशक,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं वितरण मंत्रालय,
उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

http://shasanadesh.up.nic.in